सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 189/2021 दिनांक- 1 3 अप्रैल 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

<u>थाना-मेंहनगर</u>

<u>मोटरसाइकिल पर में फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चलाने वाले अभियुक्तगण गिरफ्तार</u>

आगामी त्रिस्तरिय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तो को गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 12.04.2021 चौकी प्रभारी सिंहपुर पंकज यादव मय हमराह हे0कां0 देवेन्द्र राय के चौकी सिंहपुर से भ्रमण करते हुआ गोपालपुर तिराहे पर पहुचे गोपालपुर बैंक ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी कां0 उत्तम प्रताप सिंह व कां0 अनिल कुमार गोंड को साथ लेकर तिराहे पर ही संदिग्ध व्यक्ति /संदिग्ध वाहन एवं आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों व्यक्तियो की चैकिंग प्रारम्भ की गयी उसी दौरान जरिये मुखबिर सूचना पर दो अलग-अलग मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियो को रोककर चेक किया गया व नाम पता पुछने पर एक ने अपना नाम रिषभ सिंह पुत्र अवनीश कुमार सिंह निवासी खजूरी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ बताया जिसका मोटरसाइकिल नंबर चैक करने पर UP62AC8971 पाया गया जिसकी जांच करने पर उक्त मो0 इसरार पुत्र मुस्ताक अहमद R/O कोहदा PS शाहगंज जनपद जौनपुर के नाम पाया गया। जिसके संबंध में रिषभ सिंह से पूछने पर बताये कि यह गाड़ी मेरे पिता अवनीश सिंह पुत्र वीरेन्द्र बहादुर सिंह निवासी खजूरी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के नाम पर हैं। इसका सही नंबर UP50 AD 9581 है । दूसरे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम संकटा सिंह पुत्र स्व 0 विजय बहादुर सिंह R/O भीटकासोपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ बताया जिसके मो0सा0 का नंबर प्लेट चेक किया गया तो नंबर UP54W 2171 अंकित पाया गया जिसकी जांच कि गयी तो उक्त मोटरसाइकिल अंकित सिंह S/O प्रदीप कुमार सिंह निवासी परदहाँ मील रोड जनपद मऊ के नाम से पाया गया जिसके सम्बन्ध में पूछने पर संकटा सिंह उपरोक्त ने बताया कि यह गाड़ी मेरी है जिसका सही नंबर UP50AZ 4288 है । नम्बर प्लेट बदलकर गाड़ी चलाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-60/21 धारा 420,467,468 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्त को 16.00 बजे पुलिस हिरासत में लेकर चालान माननीय न्यायालय किय जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. रिषभ सिंह पुत्र अवनीश कुमार सिंह सा0 खजुरी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

2. संकटा सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह सा0 भिटकासो थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 60/21 धारा 420,467,468 भादवि थाना मेंहनगर, आजमगढ़

बरामदगी

दो अदद मोटर साइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 श्री पंकज यादव चौकी प्रभारी सिंहपुर मय हमराह हे 0का0 देवेन्द्र राय, कां0 उत्तम प्रताप सिंह व कां0 अनिल कुमार गोंड थाना मेहनगर जनपद आजमगढ।

थानाबरदह -

वांछित अभियुक्त गिरफ्तर 01

दिनांक 12.04.21 को श्री लहरू मौर्य पुत्र रामधारी मौर्य नि जमुआंवा थाना बरदह जनपद आजमगढ 0ग्राम व पो0द्वारा दी गई लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त योगेश मौर्य्र पुत्र रामनरायन मौर्य ग्राम इरनी थाना बरदह जनपद आजमगढ द्वारा शादी के बाद से ही वादी की लडकी शीला मौर्य्र उम्र वर्ष को दहेज के लिये प्रताड 23 ित करना तथा परेशान करने व फांसी लगाकर जान से मार देने के सम्बन्ध मे मु 2021/81 0सं0अ0 ए498 धारा, डीपी एक्ट बनाम योगेश मौर्य्र पुत्र रामनरायन मौर्य ग्राम इरनी थाना बरदह जनपद आजमगढ 4 / 3 बी भादवि व304पंजीकृत किया गया था।

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय हमराहियान के थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र, व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन/व रात्रिगस्त करते हुए थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु304,ए498 धारा 21/81 -0सं0अ0बी भादवि व ¾ डी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त योगेश मौर्य पुत्र 0पी0 रामनरायण मौर्य निवासी इरनी थाना बरदह आजमगढ को मुखबिर खास की सूचना पर उसके अपराध का बोध कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर ठेकमा बाजार से आज दिनांक को 13.04.21 समय करीब **बजे हिरासत 06.10** पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मुए498 धारा 2021/81 **0सं0अ0**, डीपी एक्ट 4 / 3 बी भादवि व304

गिरफ्तार अभियुक्त-

योगेश मौर्य पुत्र रामनरायण मौर्य निवासी इरनी थाना बरदह आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय हमराह काअमित चौरसिया 0, का आनंद चौरसिया 0, मकविता मेहरोत्रा 0का0

थानाबरदह -

वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार 02

उयोगेन्द्र कुमार यादव 0का0संजय़ कुमार सिह मय हमराह हे 0नि0 के चौकी ठेकमा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र चेकिग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व/ जांच प्रार्थना पत्र व तलाश वारण्टी हेतु ग्रामजमुआवा मे पहुचे तो जरिये मुखबीर सूचना मिली कि रितेश राय पुत्र अशोक राय निवासी जमुआवा थाना बरदह जनपद आजमगढ अपने घऱ पर ही मौजूद है इस सूचना पर विश्वास कर उ 0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराही कर्म गण के साथ0 रितेश राय उपरोक्त के घर पर पहुचे तो देखा गया कि घर के बाहर एक व्यक्ति चारपाई पर बैठा मिला उसका नाम व पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रितेश राय पुत्र असोक राय निवासी जमुआवा थाना बरदह जनपद आजमगढ बताया चूकि माननीय न्यायालय सि 0डी0जू0ज0FTCM आजमगढ द्वारा अभि 323,504,506,ए498 उपरोक्त के विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट धारा 0भादवि व ¾ डीएक्ट 0पी0 जारी किया गया है अत : माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालनरितेश राय उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बता समय करीब बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया 06.40।

थाना-जीयनपुर

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 11.04.2021 को श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व सोहित राम सा0 महादेवनगर सुभाष नगर वार्ड न0- 01 अजमतगढ थाना जीयनपुर आजमगढ के लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0स0- 117/21 धारा- 147/295/427/504/506/ भादवि व 3(1)द 3(1)ध 3(2)5 क SC/ST ACT विरुद्ध बब्लू निषाद व राजू निषाद व 30 से 35 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 13.04.2021 को उ0नि0 चन्द्रशेखर यादव मय हमराह के थाना हाजा से रवाना होकर मुकदमा अपराध संख्या- 117/21 उपरोक्त मे मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास ने बताया कि साहब मूर्ति तोडने वाला अभियुक्त चुनहवा से कही जाने के फिराक मे है कि सूचना पर उ0नि0 मय हमराह , मय मुखबीर के चुनहवा से थोडे पहले जीप सरकारी को रोका गया तो मुखबीर खास द्वार इशारे से बताया गया कि मोड पर खडा व्यक्ति राजू निषाद है और हट बढ गया कि पुलिस टीम अचानक पहुची कि खडा व्यक्ति हडबडा कर भागना चाहा कि मौके पर ही पकड लिया गया। पकडे हुए व्यक्ति से नाम पता पुछा गया तो अपना नाम राजू निषाद पुत्र मिन्नू निषाद मु0 इन्द्रानगर कस्वा अजमतगढ थाना जीयनपुर आजमगढ उम्र-45 वर्ष बताया । भागने का कारण पुछा गया तो बताया कि साहब हमे पुलिस मूर्ति तोडने के कारण खोज रही है कि आप लोगो को अचानक से देखकर घबरा गया था जिसके कारण भागना चाहा पर आप लोग पकड लिये। कारण गिरफ्तारी बता कर समय करीब 12.25 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0- 117/21 धारा- 147/295/427/504/506 भादवि व 3(1)द 3(1) ध 3(2) 5 क sc/st act

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्त राजू निषाद पुत्र मिन्नू निषाद मु0 इन्द्रानगर कस्वा अजमतगढ थाना जीयनपुर आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर यादव थाना जीयनपुर आजमगढ
2. का0 अंजनी कुमार पाण्डेय,थाना जीयनपुर आजमगढ
3. का0 रमेश यादवथाना जीयनपुर आजमगढ
4. म0का0 सीमा गुप्ता थाना जीयनपुर आजमगढ
5. म0का0 नीलम देवीथाना जीयनपुर आजमगढ

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 07 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।